

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1501]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर, 18, 2009/भाद्र 27, 1931

No. 15011

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2009/BHADRA 27, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2009

का.आ. 2404(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के आदेश सं. का.आ. 526(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2006 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 15/3/2006-ई सी आर एंड ई] राकेश कक्कड़, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)
ORDER

New Delhi, the 18th September, 2009

S.O. 2404(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) number S.O. 526(E), dated 12th April, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 15/3/2006-ECR&E] RAKESH KACKER, Addl. Secy.